In the court of Sanjeev kumar-II, ASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
GR No 1687/2012(s) State vrs. Hariballav yadav

FORM A

न्यायालयः– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष–सह–विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मधेपुरा।

उपस्थित : (संजीव कुमार–II)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, मधेपुरा

G.R. No .-1687/2012(s)
C.I.S.No.-06/2013
मधेपुरा थाना कांड संख्या–427 / 2012
(निर्णय की तिथिः–18.05.2026)

सूचक	राज्य द्वारा सूचक **विपीन कुमार पु.अ.नि. मधेपुरा थाना, जिला मधेपुरा वर्तमान मठाही, पुलिस शिविर**
अभियोजन की ओर से	श्री रविन्द्र मंडल, विद्वान लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	**बनाम** 1. हरिबल्लभ यादव, पिता स्व0 माधो यादव, उम्र 60 वर्ष सा0 मठाही, थाना–मधेपुरा एवं जिला मधेपुरा
बचाव पक्ष की ओर से	श्री सदानन्द यादव, विद्वान अधिवक्ता

FORM B

अपराध की तिथि–	दिनांक–02.09.2012
प्राथमिकी की तिथि–	दिनांक–02.09.2012
अन्तिम प्रपत्र की तिथि–	दिनांक–31.03.2015
अपराध का संज्ञान की तिथि–	दिनांक–22.01.2019
आरोप गठन की तिथि–	दिनांक 23.08.2019
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक–25.02.2020
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि–	दिनांक–15.05.2026
निर्णय की तिथि–	दिनांक–18.05.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति दोषसिद्ध या दोषमुक्त	**सजा**
1. हरिबल्लभ यादव	06-03-13	20-06-13	**u/s- 20 of N.D.P.S Act**	**अपर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।**	

In the court of Sanjeev kumar-II, ASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
GR No 1687/2012(s) State vrs. Hariballav yadav

अभियोजन साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति ( )
PW-1	विजय प्रसाद यादव	अभियोजन साक्षी (तथ्य पर)
PW-2	जगदीश यादव	अभियोजन साक्षी (तथ्य पर)

बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य

Sr. No,	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
--------		बचाव साक्षी(.....)

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण

अभियोजन

Sr. No,	Exhibit Number	Description
1	Ext-01	जप्ती सूची पर गवाह का हस्ताक्षर
2	Ext-1/1	जप्ती सूची पर गवाह का हस्ताक्षर

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **हरिवल्लभ यादव** के विरूद्व धारा **20 of N.D.P.S Act** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप गठित करके उसके सार को हिन्दी में पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवं विचारण का दावा किया।

2. सूचक विपिन कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 02/09/12 को समय करीब 16.50 बजे हरिबल्लब यादव के निजी मकान पर अपना बयान लिपिबद्ध करता हूँ कि दिनांक 02.09.12 को 15.45 बजे गुप्त रूप से सूचना मिली कि एक नवयुवक मठाई गांव से कुछ आपतिजनक सामान लेकर मठाई रेलवे ढाला के पास एन.एच. 107 पर किसी सवाड़ी गाड़ी को पकड़कर मधेपुरा की तरफ जाने वाला है। इस सूचना को सनहा अंकित कर शिविर पर प्रतिनियुक्त सशस्त्र के जवान सि0 228 ओमप्रकाश ओझा, गृहरक्षक 1357 पुलकित मेहता, गृहरक्षक 194 नारायण पासवान, गृह रक्षक 2259 छोटे लाल शर्मा साथ सरकारी जीप चालक 7 अरूण कुमार के साथ 16.50 बजे गुप्त सूचना के सत्यापन एवं अग्रिम कर्यवाही हेतु पुलिस शिविर मठाई से प्रस्थान किया। जब वह सभी पुलिस कर्मी मठाई रेलवे ढाला से कुछ दूर थे तो देखे कि गुप्त सूचना में बताए गए हुलिया से मिलता जुलता एक नवयुवक खेत के पगडंडी के रास्ते रेलवे ढाला की तरफ आ रहा था जब वे सभी पुलिसकर्मी रेलवे ढाला पर पहुंचे तो वह नवयुवक सब पुलिस कर्मी को देखकर रेलवे ढाला से सटे पश्चिम साईकिल एवं किराना के दुकान के पीछे छुपने लगा जिस पर वे लोग का शक गहरा गया तथा जीप से उतरकर वे सभी पुलिसकर्मी द्वारा घेरकर रोका गया। नवयुवक

काफी घबराया हुआ था। पुछने पर अपना नाम भीम पासवान बताया तथा अपने पीठ के पीछे लटकाए नीला रंग के झाोला में रखे समान के विषय में पुछने पर शकपका गया तथा कुछ भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इस बीच वहॉ राहगीरों की भीड़ जमा हो गई जिसे भीम पासवान के बदन एवं कंधे में लटकाए झोला की तलाशी हेतु स्वतंत्र साक्षी बनने के आग्रह करने पर स्वेच्छा से दो व्यक्ति 1. विजय प्रसाद यादव एवं 2. जगदीश यादव तैयार हो गए। जिनके समक्ष भीम पासवान के बदन एवं पीठ पर लटकाए नीला रंग का पलास्टिक बैग का बना झोला का तलाशी विधिवत लिया गया। भीम पासवान के पीठ पर लटकाए नीला रंग के बने पलास्टिक बैग के झोला में काला रंग के पॉलोथीन के अंदर अखबार के पन्ने से लपेटकर गांजा रखा हुआ पाया गया। गांजा से तिक्ष्ण गंध निकल रही थी। भीम पासवान से बैग में रखे गांजा के विषय में किसी कागजात अथवा अनुज्ञप्ति की मांग की गई। जिसके संबंध में भीम पासवान कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई संतोषजनक जबाव दिया। वहीं पास के दुकान में भीम पासवान के पास से मिले गांजा का वजन भीम पासवान एवं दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष कराया गया तो झोला सहित 750 ग्राम पाया। जिसका विधिवत जप्ती सूची तैयार किया गया। जिस पर दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिया। जप्ती सूची की एक प्रति भीम पासवान को भी प्राप्त करवाकर जप्ती सूची पर प्राप्ति रसीद बनवा लिया। वहॉ पर उपस्थित स्वतंत्र साक्षियों एव अन्य लोगों के समक्ष जब भीम पासवान से बरामद गांजा को किस स्थान से लाने की बात पूछी गई तो भीम पासवान बतलाया कि मठाई गांव के हरिबल्लभ यादव के घर से स्टील के बक्सा में रखे स्टोक से निकाल कर उसे यह गांजा दिया है। जल्दी चलने पर हरिबल्लभ यादव एवं उसके पास शेष बचे गांजा मिल सकता है। ऐसी परिसिथिति में किसी मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में तलाशी हेतु काफी समय लगता तथा संभावना थी कि मजिस्ट्रेट के इंताजर करने में गांजा को वहां से हटा दिया जाता। वह तथा पुलिस कर्मी पकड़ाए भीम पासवान बरामद गांजा एवं दोनों स्वतंत्र साक्षी के साथ सरकारी जीप से मठाई रेलवे ढाला से मठाई गांव के लिए तुरंत प्रस्थान किया। इसी बीच रास्ते में वरीय पदाधिकारियों को इस आशय की सूचना दिए। जिनके द्वारा यह आदेश मिला कि तुरंत छापामारी करें। भीम पासवान द्वारा मठाई गांव में दूर से हरिवल्लब यादव के घर का पहचान करवाया गया। जब वे लोग उसके घर से कुछ दूरी थे तभी वहॉ से कुछ लोगों को गांव के अन्दर भागते हुए देखें जब वे सभी पुलिसकर्मी हरविल्लभ यादव के घर पर पहुंचे तो पाए कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। पर घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। साथ आए दोनों स्वतंत्र साक्षियों एवं पकड़ाए भीम पासवान के द्वारा कमरे में रखे स्टील के बॉक्स के पहचान के उपरांत तलाशी नियमों का पालन करते हुए। तालशी लिया गया तो स्टील के बॉक्स के अन्दर कपड़े के नीचे छुपाकर पलासटिक के बोरा में काफी मात्रा में गांजा मिला जिसका वजन गांव में स्थित दुकान में तराजु मंगवाकर किया गया तो वजन बोरा सहित 3 किलो 600 ग्राम पाया गया। जिसकी जप्ती सूची दोनों स्वतंत्र साक्षियों एवं पकड़ाए भीम पासवान के समक्ष तैयार किया गया। जिस पर दोनों स्वतंत्र साक्षियों एवं भीम पासवान ने अपना अपना हस्ताक्षर बना दिया। जप्ती सूची की एक प्रति भीम पासवान को प्राप्त करवा कर प्राप्ति रसीद बनवा लिया गया। मठाई गांव के लोग गुप्त रूप

से बताए कि हरिवल्लभ यादव काफी दिनों से गांजा का कारोबार करते है तथा पुलिस के आने के थेड़ा देर पहले सारा परिवार घर छोड़कर भाग गया। हरिवल्लभ यादव दबंग किस्म का आदमी है। जिसके कारण गांव का लोग खुलकर गवाही देने को तैयार नहीं हुए। उपरोक्त परिस्थिति से स्पष्ट होता है कि भीम पासवान एवं हरिवल्लभ यादव अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का कारोबार करते है जो धारा 20/22/25 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत संज्ञेय अपराध है जिसके आरोप में भीम पासवान को गिरफ्तारी नियमों का पारलन करते हुए गिरफ्तार किया।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी मधेपुरा के द्वारा अभियुक्त के विरूद्व मधेपुरा थाना कांड सं.–427/2012 दिनांक 02.09.2012 अन्तर्गत धारा **20/22/25 of N.D.P.S Act** में दर्ज किया गया तथा उक्त कांड का अनुसंधान का भार पु..अ.नि. मनोज प्रसाद सिंह को सौंपा गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानों उपरांत मामले को सत्य पाते हुए प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **हरिवल्लभ यादव** के विरूद्व धारा **20/22/25 of N.D.P.S Act** के अन्तर्गत आरोप–पत्र सं.–72/2015 दिनांक 31.03.2015 समर्पित किया गया। प्रस्तुत वाद में तत्कालीन सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2019 संज्ञान आदेश पारित किया गया। प्रस्तुत वाद उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक– 22.01.2019 को इस न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया एवं विचारण एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को दिनांक 25/01/2019 को प्राप्त हुआ।

4. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल दो अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैं जो कमशः अभियोजन साक्षी सं.– 1. विजय प्रसाद यादव एवं 2. जगदीश यादव का साक्ष्य कराये हैं।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त का कथन दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, अभियुक्त ने साक्षियों के कथन एवं अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा सफाई में अपने को निर्दोष बताया। उसके द्वारा प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. अब इस विशेष न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

अभियोजन साक्ष्य

7. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल दो अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैं जो कमशः अभियोजन साक्षी सं.– 1. विजय प्रसाद यादव एवं 2. जगदीश यादव तथा दस्तावेजी साक्षय के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा जप्ती सूची पर गवाह का हस्ताक्षर को कमशः Ext-01 एवं Ext-01/01 प्रदर्श अंकित कराया गया है।

8. **अभियोजन साक्षी सं0 01 विजय प्रसाद यादव है,** जिसने दिनांक–25/02/2020 को साक्ष्य के कम मे अपने मुख्य परीक्षण में कहा है की दिनांक 02.09.2012 को करीब 4.35 बजे शाम में दरोगा जी इस कांड के जप्ती सूची को तैयार किया था जिस पर उसका हस्ताक्षर है, जिसे पहचानता है। इसे प्रदर्श 01 अंकित किया जाता है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि उसके सामने कोई चीज बरामद नहीं हुआ था। हस्ताक्षर करते समय जप्ती सूची पूरा सादा था। दरोगा जी के कहने पर उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया था।

9. **अभियोजन साक्षी सं0 02 जगदीश यादव है,** जिसने दिनांक–25/02/2020 को साक्ष्य के कम मे अपने मुख्य परीक्षण में कहा है की दिनांक 02.09.2012 को करीब 4.35 बजे शाम में दरोगा जी इस कांड के जप्ती सूची को तैयार किया था जिस पर उसका हस्ताक्षर है, जिसे पहचानता है। इसे प्रदर्श 01 अंकित किया जाता है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि उसके सामने कोई चीज बरामद नहीं हुआ था। हस्ताक्षर करते समय जप्ती सूची पूरा सादा था। दरोगा जी के कहने पर उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया था।

मंतव्य

10. एक मात्र अभियुक्त हरिवल्लभ यादव के विरूद्ध धारा 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत आरोप का गठन दिनांक 23/08/2015 को किया गया है। अभियोजन के द्वारा कुल दो साक्षियों विजय प्रसाद यादव (P.W.-1) तथा जगदीश यादव (P.W.-2) का साक्ष्य करवाया गया हैं।

11. P.W.-1 का कथन है कि दिनांक 02/09/2012 को करीब 4.35 बजे शाम को दारोगा जी द्वारा इस कांड के जप्ती सूची तैयार किया गया था जिस पर उसका हस्ताक्षर है जिसे वह पहचानता है। इसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया। प्रति परीक्षण में साक्षी P.W.-1 कहते है कि उनके सामने कोई चीज बरामद नहीं हुआ था। पी.डबलू का यह भी कथन है कि जिस समय उसने जप्ती सूची पर हस्ताक्षर किया, जप्ती सूची सादा था। पुनः P.W.-1 कहते है कि दारोगा जी के कहने पर उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया था। P.W.-1 जप्ती सूची के साक्षी है।

12. P.W.-2 जगदीश यादव का कहना है कि घटना दिनांक 02/09/2012 समय करीब 4.35 बजे शाम की है। इस कांड के दारोग जी के द्वारा जप्ती सूची को तैयार किया गया जिस पर

P.W.-2 का हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई और प्रदर्श 1/1 अंकित किया गया। पुनः P.W.-2 कहते है कि उनके सामने कोई भी वस्तु बरामद नहीं की गई। जब साक्षी ने जप्ती सूची पर किया उस वक्त जप्ती सूची सादा था। दारोगा जी के कहने पर P.W.-2 ने अपना हस्ताक्षर बना दिया। दोनों जप्ती सूची के गवाही कमशः P.W.-1 तथा P.W.-2 यह अभीकथन करते है कि उनके सामने कोई भी बरामदगी जैसा कि जप्ती सूची में बताया गया है नहीं हुई थी।

13. दोनों जप्ती सूची के गवाहों ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि अभियुक्त हरिवल्लभ यादव पे0 माधो यादव सा0 मठाही थाना मधेपुरा के उत्तर वाले बने कमरा जो इट का दिवाल एवं उपर से एसबेस्टस किया हुआ है के घर के अन्दर रखा स्टील का बड़ा बक्सा जिसमें पलास्टिक के बोरा में रखा गांजा वजन लगभग 3 कि0 600 ग्राम उनके समक्ष बरामद किया गया है। जप्ती सूची के साक्षीगण विजय यादव और जगदीश यादव अपने हस्ताक्षर को पहचानने का दावा करते है परंतु घटना के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। जप्ती सूची के साक्षियों का यह भी कथन है कि पुलिस के कहने पर उन्होंने सादा कागज पर अपना हस्ताक्षर बना दिया। अभियोजन के द्वारा सूचक विपिन कुमार पु0अ0नि0 मधेपुरा थाना एवं अनुसंधानकर्ता नितेश कुमार को प्रस्तुत नहीं किया गया। जप्ती के समय धारा 50 ए.डी.पी.एस एक्ट का अनुपालन नहीं किया गया।

"Section 50 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, is a crucial procedural safeguard that mandates the conditions under which a personal search of a suspect must be conducted. It aims to ensure that evidence is not manipulated and protects the rights of individuals in cases involving severe penalties.

Key Features of Section 50

Right to Independent Witnesses: If a person about to be searched requires it, the officer must take them to the nearest Gazetted Officer or a Magistrate.

Mandatory Communication: The authorized officer is legally obligated to inform the suspect of their right to be searched before a Gazetted Officer or a Magistrate.

Search of Females: Sub-section (4) explicitly states that no female shall be searched by anyone except a female.

Detention: If a request for a Magistrate or Gazetted Officer is made, the officer can detain the person until they are brought before them.

Emergency Search (Sub-section 5 & 6): If an officer believes a delay would allow the suspect to part with the contraband, they can proceed with the search under Section 100 of the CrPC, but they must record the reasons and send a copy to their superior within 72 hours.

Legal Consequences of Non-Compliance

Inadmissible Evidence: Failure to comply with the mandatory requirement of informing the accused of their right under Section 50 can render the search illegal, making the recovered contraband inadmissible evidence in court.

Acquittal: Non-compliance frequently leads to the acquittal of the accused.

National Narcotics Coordination Portal

Landmark Judgments

State of Punjab v. Baldev Singh (1999): The Supreme Court held that the provisions of Section 50 are mandatory, and failure to inform the accused of their rights is fatal to the prosecution's case.

Vijaysinh Chandubha Jadeja v. State of Gujarat (2011): The Court clarified that the right must be communicated in "clear, unambiguous terms" and not in a symbolic or general way.

State of Rajasthan v. Parmanand (2014): Held that the accused must be individually informed of their right, not collectively.

Ranjan Kumar Chadha v. State of Himachal Pradesh (2023): Reaffirmed that Section 50 does not apply to bags or other articles, only the person.

National Narcotics Coordination Portal

Legal Consequences of Non-Compliance

Inadmissible Evidence: Failure to comply with the mandatory requirement of informing the accused of their right under Section 50 can render the search illegal, making the recovered contraband inadmissible evidence in court.

Acquittal: Non-compliance frequently leads to the acquittal of the accused.

क्योंकि जप्ती सूची से स्पष्ट नहीं है कि search and seizure के समय अभियुक्तों को किसी राजपत्रित ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया था। अंतर्गत धारा 50 एन.डी. पी.एस. एक्ट 1985 का कंप्लाईस अभिलेख पर नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मधेपुरा थाना कांड संख्या 427/12 में दो जप्ती सूची है। दूसरे जप्ती सूची में भीम पासवान पे0 स्व0 मनोहर पासवान सा0 भिरखी, वार्ड नं0 6 थाना मधेपुरा जिला मधेपुरा के पीठ पर रखा निला रंग का झोला जिसमें झोला सहित वनज लगभग 750 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। अभियुक्त भीम पासवान का अनुपूरक वाद चला है। अभियुक्त हरिवल्लभ यादव के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 72/15 दिनांक 31/03/15 समर्पित किया गया है एवं भीम पासवान के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 360/12 दिनांक 31/10/12 समर्पित किया गया है। दोनों अभिलेख का पृथक–पृथक ट्रायल हुआ। अभियोजन के द्वारा सूचक को उपस्थित नहीं कराने की स्थिति में प्राथमिकी प्रदर्श अंकित नहीं हो सका। अनुसंधानकर्ता के साक्ष्य के रूप में नहीं प्रस्तुत कराये जाने के कारण आरोप पत्र प्रदर्श नहीं अंकित किया जा सका। अभियोजन के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि जप्त प्रदर्श नार्कोटिक सबस्टांस है। इस बिन्दु पर साक्ष्य शुन्य है। उक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अपने वाद को साबित करने में असफल रहा।

There is nothing on the record to show that the informant ever explained provision u/s 50 of N.D.P.S. Act to accused person in course of search and seizure that accused should be presented before the Gazetted Officer for search and seizure. No document has been prepared in this respect by informant of the case therefore, the search and seizure appears to be not admissible and reverse burden of proof has rebutted airising from search and seizure.

None examination of Investigating Officer of this case is total for prosecution. Prosecution did not establish the place of occurrence. The independent witnesses examined in the case were the seizure-list witnesses who disproved the prosecution by stating that they have signed the seizure memo plain paper, nothing was written over it.

In the court of Sanjeev kumar-II, ASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
GR No 1687/2012(s) State vrs. Hariballav yadav

आदेश

20. एतद्, मैं अभियुक्त **हरिवल्लभ यादव** के विरूद्व धारा **20 of N.D.P.S Act** के आरोप से साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त करता हूँ। दोषमुक्त अभियुक्त का बंधपत्र निरस्त करते हुए उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता हैं। इस वाद में न्यायालय के द्वारा जारी सभी आदेशिकाओं तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। कार्यालय निष्पादित अभिलेख को ससमय अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित एवं उद्घोषित किया गया।

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
मधेपुरा, दिनांक –18-05-2026

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
मधेपुरा, दिनांक –18-05-2026

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा